18. **झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 7 (ख) में निम्न प्रावधान अंकित है–**

(ख) प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नवत् होगाः–

i) प्राथमिक कक्षा (1 से 5) – दो घंटा तीस मिनट।

ii) उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8) – तीन घंटा।

iii) दृष्टि बाधित, दिव्यांगों के लिए– तीस मिनट का अतिरिक्त समय।

एवं

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 2 (ii) में अंकित प्रावधान निम्न है– प्राथमिक कक्षा (1 से 5) के लिए परीक्षा अवधि 3 घंटा।

<u>को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः–</u>

प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नवत होगा–

i) प्राथमिक कक्षा (1 से 5) – 2 घंटा 30 मिनट।

ii) उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8) – 2 घंटा 30 मिनट।

iii) दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए– 30 मिनट का अतिरिक्त समय।

19. **झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 7 (ज) में निम्न प्रावधान अंकित है –**

उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जाँच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा स्नातक के सिलेबस पर आधारित होंगे, किन्तु इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर स्नातक या समकक्ष होगा।

<u>को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः–</u>

उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जाँच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त 'State University' के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाईयों का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा।

20. **झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 7 (झ) में निम्न प्रावधान अंकित है –**

नियम 7(घ) एवं (ड.) में भाषा II अन्तर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा नियमावली के अनुसूची–1 के अनुसार होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए

अनुमान्य क्षेत्रीय / जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

क्षेत्रीय / जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा–II में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या– 1428 दिनांक 10.03.2023 एवं अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10.03.2023 में उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं।

21. **झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 12 में निम्न प्रावधान अंकित है –**

शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार को **प्रत्येक वर्ष में** कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार नियमानुसार परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

22. **झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 3 में अंकित प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –**

क्र.	वर्तमान प्रावधान			क्र.	प्रतिस्थापित प्रावधान		
खण्ड	विषय	बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	खण्ड	विषय	बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति	20	20	I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति	30	30
II.	भाषा–I (a) सहायक शिक्षक : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न) (b) उर्दू सहायक शिक्षक: उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)	40	40	II.	भाषा–I (a) सहायक आचार्य / विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न) b) सहायक आचार्य (उर्दू): उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न)	30	30
III.	भाषा– II	40	40	III.	भाषा– II	30	30

क्षेत्रीय / जनजातीय भाषा				कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा।		
गणित	50	50		गणित	30	30
पर्यावरण अध्ययन	50	50		**सामान्य अध्ययन**	30	30
कुल	**200**	**200**		**कुल**	**150**	**150**

नोट: परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (कक्षा 1 से 5 के लिए) को झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किये गये विकल्पों यथा–सहायक आचार्य / विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य / सहायक आचार्य (उर्दू) तथा चयनित भाषा–II का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायक आचार्य (उर्दू) के प्रतिभागी द्वारा भाषा–II में उर्दू भाषा का चयन अनिवार्य होगा।

23. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 4 में अंकित प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –

क्र	वर्तमान प्रावधान					क्र	प्रतिस्थापित प्रावधान				
खण्ड			विषय	बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	खण्ड			विषय	बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
1.	अनिवार्य	I.	**बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)**	20	20	1.	अनिवार्य	I	**बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)**	30	30
		II	**भाषा– I** **(a) सामान्य शिक्षक:** हिन्दी एवं अंग्रेजी, या (हिन्दी / संस्कृत के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न) **(b) उर्दू शिक्षक** : उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)	40	40			II	(a) सहायक आचार्य / विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न) b) सहायक आचार्य (उर्दू): उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न)	30	30
		III.	**भाषा–II** क्षेत्रीय / जनजातीय भाषा	40	40			III.	**भाषा–II** कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा	30	30

									में से कोई एक भाषा।		
2.	वैकल्पिक	IV.	**(a) गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक :** गणित–50, विज्ञान–100 (भौतिकी–50, रसायन–50, वनस्पति–50, जीव विज्ञान–50 में से कोई भी दो विषय)	150	150	2.	वैकल्पिक	IV.	**(a) गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक :** गणित एवं विज्ञान से संबंधित प्रश्न	60	60
			(b) समाज अध्ययन शिक्षकः (इतिहास–50, भूगोल–50, राजनीतिशास्त्र– 50, अर्थशास्त्र–50, समाजशास्त्र–50, लेखा शास्त्र–50 तथा व्यापार अध्ययन–50 में कोई भी तीन विषय)	150	150				**(b) समाज अध्ययन शिक्षक :** समाज अध्ययन से संबंधित प्रश्न	60	60
			(c) भाषा शिक्षक : (अंग्रेजी–75 एवं हिन्दी/संस्कृत/उर्दू/अन्य संबंधित भाषा–75)	150	150				**(c) भाषा शिक्षक/ अन्य शिक्षकः** IV(a) अथवा IV(b) में से कोई एक	60	60
कुल				**250**	**250**				**कुल**	**150**	**150**

नोटः परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (कक्षा 6 से 8 के लिए) को झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किये गये विकल्पों यथा–सहायक आचार्य/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य/सहायक आचार्य (उर्दू), चयनित भाषा–II तथा चयनित वैकल्पिक विषय (गणित एवं विज्ञान शिक्षक या सामाजिक विज्ञान शिक्षक) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायक आचार्य (उर्दू) के प्रतिभागी द्वारा भाषा–II में उर्दू भाषा का चयन अनिवार्य होगा।

24. **झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 4 में अंकित नोट निम्नवत् है–**

विज्ञान विषयों एवं सामाजिक अध्ययन के विषयों के लिए क्रमशः 4 एवं 7 खण्ड होंगे, जिसमें दो या तीन खण्ड का उत्तर देना अनिवार्य होगा।

<u>को विलोपित किया जाता है।</u>

25. **झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 5 में निम्न प्रावधान अंकित है–**

नियम–7 (घ) एवं (ड.) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है–

' नियम 7 (घ) एवं (ड.) में भाषा–II अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (झारखंड सरकार) के गजट संख्या 660 दिनांक 24.12.2021 द्वारा चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा के अनुरूप होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

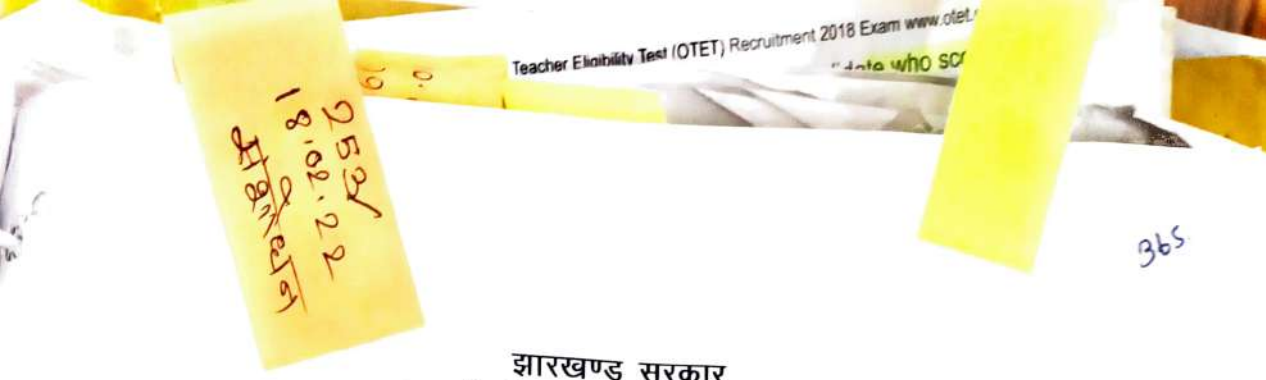

Teacher Eligibility Test (OTET) Recruitment 2018 Exam www.otet.

2532
18.02.22
अधिसूचना

365

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

राँची, दिनांक 18/02/2022

संख्या :– **8/वि01–04/2018**..253.../निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त नियमावली में संशोधन करते हुए निम्नवत् संशोधन नियमावली गठित करते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–

   (i) यह नियमावली **"झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022"** कही जायेगी।

   (ii) इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा।

   (iii) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली–2019 के निम्नांकित प्रावधानों को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

क्र.	नियम	प्रतिस्थापित प्रावधान
i.	नियम–6 कंडिका (ग)(ii) परन्तुक (ii)	**सामाजिक अध्ययन शिक्षक** : (क) इतिहास, (ख) भूगोल, (ग) राजनीतिशास्त्र, (घ) अर्थशास्त्र, (च) समाजशास्त्र (छ) लेखा शास्त्र (ज) व्यापार अध्ययन
ii.	नियम–7 (ख) (i)	प्राथमिक कक्षा (1 से 5) के लिए परीक्षा अवधि 03 घंटा
iii.	नियम–7 (ड.) खण्ड–1 (ii) भाषा–I (b)	**उर्दू सहायक शिक्षक** : उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)
iv.	नियम–7 (ड.) खण्ड–2 वैकल्पिक विषय (iv) (a)	**गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक** : (गणित–50, विज्ञान–100 (भौतिकी–50, रसायन–50, वनस्पति–50, जीव विज्ञान–50 में से कोई भी दो विषय)
v.	नियम–7 (ड.) खण्ड–2 वैकल्पिक विषय (iv) (b)	(इतिहास–50, भूगोल–50, राजनीतिशास्त्र–50, अर्थशास्त्र–50, समाजशास्त्र–50, लेखा शास्त्र–50 तथा व्यापार अध्ययन–50 में कोई भी तीन विषय)

3. **नियम–7 (घ) में निम्नवत् संशोधन करते हुए प्रतिस्थापित किया जाता है** :–

क्र. खण्ड	प्रतिस्थापित प्रावधान		
	विषय	बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति	20	20

Khurshid

II.	भाषा–I	40	40
	(a) सहायक शिक्षक : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)		
	(b) उर्दू सहायक शिक्षक: उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)		
III.	भाषा– II क्षेत्रीय / जनजातीय भाषा	40	40
	गणित	50	50
	पर्यावरण अध्ययन	50	50
	कुल	200	200

4. नियम–7 (ड.) में निम्नवत् संशोधन करते हुए प्रतिस्थापित किया जाता है :–

क्र	प्रतिस्थापित प्रावधान				
खण्ड			विषय	बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
1.	अनिवार्य	I.	**बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)**	20	20
		II.	**भाषा– I**	40	40
			(a) सामान्य शिक्षक: हिन्दी एवं अंग्रेजी, या (हिन्दी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)		
			(b) उर्दू शिक्षक : उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)		
		III.	**भाषा–II** क्षेत्रीय / जनजातीय भाषा	40	40
2.	वैकल्पिक	IV.	**(a) गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक** : गणित–50, विज्ञान–100 (भौतिकी–50, रसायन–50, वनस्पति–50, जीव विज्ञान–50 में से कोई भी दो विषय)	150	150
			(b) सामाजिक अध्ययन शिक्षक : (इतिहास–50, भूगोल–50, राजनीतिशास्त्र– 50, अर्थशास्त्र–50, समाजशास्त्र–50, लेखा शास्त्र–50 तथा व्यापार अध्ययन–50 में कोई भी तीन विषय)	150	150
			(c) भाषा शिक्षक : (अंग्रेजी–75 एवं हिन्दी / संस्कृत / उर्दू / अन्य संबंधित भाषा–75)	150	150
			कुल	250	250

नोट: विज्ञान विषयों एवं सामाजिक अध्ययन के विषयों के लिए क्रमशः 4 एवं 7 खण्ड होंगे, जिसमें दो या तीन खण्ड का उत्तर देना अनिवार्य होगा।

5. नियम–7 (घ) एवं (ड.) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

" नियम–7 (घ) एवं (ड.) में भाषा–II अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (झारखण्ड सरकार) के गजट संख्या–660 दिनांक 24.12.2021 द्वारा चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा के अनुरूप होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

अनुमान्य क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं भाषा में वे शुद्ध–शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं।"

6. नियम–6 में कंडिका–(ग) (iii) निम्नवत् जोड़ा जाता है :–

"नियम–6 में कंडिका (ग) (i) तथा (ii) में वर्णित योग्यताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा"।

7. नियम–7 (ठ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नवत् प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा :–

क्र. सं.	वर्ग	प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम प्राप्तांक (प्रतिशत)	कुल प्राप्तांक न्यूनतम (प्रतिशत)
I.	सामान्य जाति	40	60
II.	अनुसूचित जाति	30	50
III.	अनुसूचित जनजाति	30	50
IV.	आदिम जनजाति	30	50
V.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	35	55
VI.	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)	35	55
VII.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35	55
VIII.	दिव्यांग	30	50

8. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण–पत्र की वैधता सात वर्ष के बदले आजीवन रहेगा। यह प्रावधान झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2013 एवं 2016 के प्रमाण–पत्र पर भी लागू होगा।

9. इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से तद्विषयक पूर्व से प्रवृत्त सभी राजकीय संकल्प, अनुदेश, निदेश अथवा नियम इस हद तक निरसित माने जायेंगे, परन्तु इस निरसन के होते हुए भी उल्लिखित राजकीय संकल्प, अनुदेश, निदेश अथवा नियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

18/2/22

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

Khurshid